दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्रेस निविदा सूचना सं. 25/एफओ/एसडब्ल्यूजेड/04-05/एनआईटी

दिविप्रा कार्यों के लिए पूर्व-अर्हता दस्तावेज

1. दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से कार्यकारी अभियंता, एसडब्ल्यूडी-1 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए प्रतिष्ठित फर्मों/ठेकेदारों से पूर्व-अर्हता आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	पूरा करने की अवधि
(1)	वसंत कुंज, महरौली-महिपालपुर रोड, नई दिल्ली में बेसमेंट, आंतरिक विकास, भीतरी एवं बाहरी वैद्युतीकरण, लिफ्ट, अग्निरोधी, बाह्य सेवाओं, पम्प, ट्यूबवेलों और साइट के विकास पूरे करने आदि जैसी सुविधाओं से युक्त 362 (268 एमआईजी + 94 एलआईजी बहुमंजिले और चार मंजिले घरों का निर्माण करना।	29.00 करोड़ रु.	24 माह

2. वे ठेकेदार आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जो निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करेंगे। संयुक्त उद्यम स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
   (क) गत् सात वर्षों जो माह के अंतिम दिन पूरा हुआ हो, के दौरान उपर्युक्त स्वरूप के 08 मंजिले भवन आई/सी बेसमेंट के तीन कार्यों को संतोषजनक तरीके से पूरा किया हुओ हो (उनमें से कम से कम एक केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय स्वायत्त निकाय/केन्द्रीय लोक उपक्रम में होना चाहिए) और प्रत्येक कार्य 12.00 करोड़ रु. की लागत का या दो कार्य 15.00 करोड़ रु. की लागत का या एक कार्य 24.00 करोड़ रु. की लागत का होना चाहिए।
   (ख) गत तीन वर्षों, जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुआ हो, के दौरान निर्माण कार्यों में 9.00 करोड़ रु. का औसत वार्षिक वित्तीय टर्नओवर रहा हो।
   (ग) गत पांच वर्षों, जो 31 मार्च, 2004 को समाप्त हुआ हो, के दौरान दो से अधिक वर्षों में कोई हानि नहीं हुई हो।
   (घ) 12.00 करोड़ रु. की बैंक शोधन-क्षमता होनी चाहिए।
3. इच्छुक ठेकेदार वसंत कुंज स्थित कार्यकारी अभियंता, एसडब्ल्यूडी-1 के कार्यालय से 1000/- रु. की नकद अदायगी करके 21.02.2005 के अप. 3.30 बजे तक दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।
4. विहित अनुबंधों के साथ पूर्व-अर्हता के लिए आवेदन मुहरबंद लिफाफे में जमा किये जाने चाहिए और लिफाफे के ऊपर विधिवत् रूप से कार्य का नाम और खुलने की नियत तिथि साफ-साफ अक्षरों में लिखी जानी चाहिए। आवेदन 25.02.2005 के अप. 3.00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे और उसी दिन कार्यकारी अभियंता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिध द्वारा उनके कार्यालय में अप. 3.30 बजे खोली जायेंगे।
5. अगर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी जानकारी बाद के चरण में गलत पाई जाती है तो वह दिविप्रा में कार्य की निविदा देने/कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किये जाने का हकदार होगा।
6. अगर बुनियादी पूर्व-अर्हता मानदंड पूरा करने वाले बहुत अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो विभाग बिना कोई कारण बताए किसी भी संभावित आवेदन को अस्वीकृत करने और पूर्व-अर्हता प्राप्त ठेकेदारों की सूची इसके द्वारा उपयुक्त समझी गई संख्या तक सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
7. किसी एजेंसी द्वारा पूरे किये गये संबंधित कार्यों की लागत उस वित्तीय वर्ष के प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष के लिए समुचित रूप से 5 प्रतिशत की दर से बढ़ाई जाएगी जिसमें वह कार्य-विशेष पूरा किया गया हो ताकि इसे वर्तमान लागत के समान लाया जा सके। एजेंसियों के टर्नओवर के संदर्भ में भी इसी तरीके से बढ़ोतरी की जायेगी।

''दि.वि.प्रा. की वेबसाइट 'ddadelhi.com' देखिए या डायल करें 9604 400300''